RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 04 / 2025 **GCMS NO. 2025/38**

अपीलांट–

1. श्री धनाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट, निवासी भीमरलाई स्टेशन, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. श्री वगताराम पुत्र आदूराम जाति जाट, निवासी भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
2. श्रीमान तहसीलदार पचपदरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 आदेश एवं आदेश की पालना में म्युटेशन संख्या 271 दिनांक 21.01.2013 जो तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री रूघाराम कड़वासरा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री चेलाराम कुमावत व दिनेश कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 07.01.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट संख्या 2 तहसीलदार पचपदरा के द्वारा कृषि भूमि के कैम्प प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 तथा आदेश पालना में म्युटेशन संख्या 271 दिनांक 21.01.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 03.03.2025 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा भीमरलाई स्टेशन, पटवार क्षेत्र खट्टू, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नम्बर 120 रकबा 14 विस्वा, खसरा नंबर 121 रकबा 21 बीघा 18 विस्वा व खसरा नंबर 125 रकबा 09 बीघा 14 विस्वा भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि अपीलांट की खरीदसुदा 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेट संख्या 1 की 2/3 हिस्सा की संयुक्त खातदारी है। जो संयुक्त खातेदारी के रूप में अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम से दर्ज थी एवं मौके पर सभी खातेदार संयुक्त रूप से काबिज रहे। उक्त भूमि के खातेदारान अपीलांट व रेस्पोडेंट ने कैम्प प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2013 में सह खातेदारान द्वारा प्रस्तुत सहमति विभाजन पर तहसीलदार पचपदरा के आदेश दिनांक 21.01.2013 द्वारा पारित स्वीकृति के अनुसरण में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 271 दिनांक 21.01.2013 को दायर कर तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2013 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त अपीलाधीन विभाजन उपरांत नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के

जिला कलक्टर बालोतरा

समक्ष दिनांक 03.03.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. रेस्पोडेंटगण के अधिवक्ता ने जवाब में यह कथन किया कि रेस्पोडेंटगण संख्या के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि मौजा भीमरलाई स्टेशन, पटवार क्षेत्र खट्टू, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नम्बर 120 रकबा 14 विस्वा, खसरा नंबर 121 रकबा 21 बीघा 18 विस्वा व खसरा नंबर 125 रकबा 09 बीघा 14 विस्वा भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि अपीलांट की खरीदसुदा 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेट संख्या 1 की 2/3 हिस्सा की संयुक्त खातदारी है। अधीनस्थ न्यायालय के विभाजन ओदश के विरूद्ध एक महीने के अंदर सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश करनी करनी होती है, जबकि अपीलांट द्वारा लगभग 12 साल बाद अपील पेश की गई है। साथ ही अपीलान्ट ने श्री सहायक कलेक्टर कोर्ट बालोतरा में राजस्व वाद संख्या 166/2022 दिनांक 15.07.2022 को वाद पेश कर दिया, जो दिनांक 27.08.2024 को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारीज कर दिया गया। नामान्तरकरण संख्या 271/2013 का उल्लेख अपीलान्ट ने अपने वाद संख्या 166/2022 में किया। जिससे उक्त म्युटेशन का ज्ञान अपीलान्ट को दिनांक 15.07.2022 को ही हो चुका था। जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट को पूर्व भी जानकारी थी। जिसमें भी किसी भी पक्षकार द्वारा कोई एतराज या आपत्ति नहीं की गयी। आलोच्य विभाजन आदेश व आदेश उपरांत म्युटेशन संख्या 271/2013 अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 1 के आपसी सहमती के अनुसार प्रशासन गांवो के संघ अभियान 2013 में जारी किया गया है तथा आदेश उपरांत उक्त म्युटेशन भरा गया। बाद म्युटेशन खसरा संख्या 125 अपीलान्ट के नाम व खसरा संख्या 121 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज किया गया। दोनो अपने अपने हिस्से में आयी भूमि पर अलग अलग काबिज होकर कास्त करते आ रहे। तत्पश्चात् अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी भूमि में से रकबा 0.1619 हैक्टर भूमि रास्ता हेतु सरेण्डर की, जिस पर नया खसरा संख्या 937/125 रकबा 0.1619 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वगताराम ने भी अपने खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 121 में से रकबा 0.0728 हैक्टर भूमि रास्ता हेतु सलेण्डर किया। जिस पर अलग से खसरा संख्या 934/121 रकबा 0.0728 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अपने खातेदारी के खेत खसरा संख्या 121 में टांका का निर्माण करवाया तथा खेत के चारो तरफ मेंडबन्दी हेतु खाई खुदवायी गई है। अतः तहसीलदार द्वारा उक्त विभाजन आदेश की पालना में तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित आलोच्य म्युटेशन संख्या 271/2013 को जारी किया गया है, को बहाल रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, आधारहीन तथा म्याद बाहर होने से उक्त अपील खारिज करने का आदेश फरमावे।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि यह है कि अपीलांट की जरिए रजिस्ट्री खरीदसुदा खातेदारी कृषि भूमि ग्राम भीमरलाई स्टेशन, पटवार क्षेत्र खट्टू तहसील पचपदरा की सरहद में खसरा नंबर 120 रकबा 14 विस्वा, खसरा नंबर 121 रकबा 21 बीघा 18 विस्वा व खसरा नंबर 125 रकबा 09 बीघा 14 विस्वा कुल खसरे 03 कुल रकबा 32 बीघा 06 विस्वा में 1/3 हिस्सा सप्रतिफल संपूर्ण राशि देकर सन् 2002 में खरीद की थी। बाद खरीद के उक्त भूमि पर एकमात्र निर्विधन व निर्बाद रूप में अपीलांट का ही कब्जा कास्त चलता आ रहा है। बाद खरीद अपीलांट के हक हिस्से व कब्जा

 जिला कलेक्टर बालोतरा

कास्त की भूमि पर अपीलांट द्वारा कृषि कार्य कर भूमि को उपजाउ बनाया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के साथ छल, कपट करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 2 से मिलावट कर बिना प्रशासन संघ गांवों के अभियान में पत्रावली पेश किये धनबल व बाहुबल के जरिये राजनीतिक एप्रोच के आधार पर बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाये अवैध व अनुचित तरीके से नामान्तकरण संख्या 271 वर्ष 2013 को पारित करवा दिया। उक्त नामान्तकरण में हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण दर्ज करने वक्त अंकित किया कि प्रशासन गांवों के संघ अभियान 2013 में आदेश की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक बंटवाड़ा दर्ज करवाने का हवाला दिया गया है, जबकि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 के कार्यालय में दिनांक 23.05.2022 को आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु पेश किया, जिसमें नामान्तकरण संख्या 271 वर्ष 2013 खातेदारी भूमि का विभाजन व बंटवाड़े के आदेश की कोई कॉपी रिकोर्ड पर उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। उक्त काल्पनिक व एक फर्जी एवं बिना अपीलांट की जानकारी के रेस्पोडेंट संख्या 2 से मिलावट कर पारित करवाया गया है। उक्त विभाजन आवेदन के वक्त अपीलांट या उनके हकपूर्वाधिकारी ने प्रशासन गांवो के संघ कैम्प 2013 में न तो सहमति के विभाजन आवेदन के समय उपस्थित हुए, न ही किसी विभाजन आवेदन में कोई हस्ताक्षर किये तथा न ही अपीलांट कभी उपस्थित रहा। उक्त आदेश का कोई रिकोर्ड तहसील पचपदरा में विध्यमान नहीं है, उसके बावजूद तत्कालीन हल्का पटवारी ने विभाजन का नामान्तरकरण प्रविष्टी संख्या 271 भरकर स्वीकृति हेतु तहसीलदार पचपदरा को प्रस्तुत किया, जिसकी जांच किये बिना श्रीमान तहसीलदार पचपदरा के द्वारा विभाजन का नामान्तरकरण प्रविष्टी संख्या 271 वर्ष 2013 को स्वीकृत कर दिया। उसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हो पायी तथा बिना अपीलांट को जानकारी दिये ही उक्त विभाजन की पालना में विभाजन का म्यूटेशन भरा जाकर नक्शे में गलत रूप से तरमीम कर दी गयी है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि में दखल देकर तंग परेशान करना शुरू कर दिया एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट को उक्त अवैध रूप से हुए विभाजन आदेश एवं गलत तरमीम की आड में अपीलांट के कब्जे काश्त वाली भूमि में कब्जा करने की धमकीयां देने लगे, तब अपीलांट द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 की अनुपालना में खसरा नंबर 121, 125 के नामान्तकरण संख्या 175 की प्रमाणित प्रतिलिपि रेस्पोडेंट संख्या 02 से चाही तो रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपीलांट को जरिये पत्र No/LR/2022/909 दिनांक 26.5.2022 को बताया कि उक्त बंटवाड़े की कॉपी पटवारी खटटू के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन आदेश मात्र म्यूटेशन प्रविष्टी में वर्ष 2013 अंकित किगया है जिसकी कोई तारीख अंकित नहीं की गयी है तथा म्यूटेशन को गलत रूप से स्वीकृत किया जाकर विभाजन की अशुद्ध रूप से तरमीम की गयी है, जिससे तथाकथित आलोच्य विभाजन आदेश का कोई अस्तित्व नहीं है। विभाजन का म्यूटेशन पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर उपलब्ध नहीं करवाया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 (2) के तहत आपसी सहमति के आधार पर कृषि जोत के विभाजन हेतु रेस्पोडेंट संख्या 02 के समक्ष पेश होने की दशा में आवेदन प्रस्तुत करने का उस पर दिनांक अंकित करते हुए विभाजन की पत्रावली संधारित किया जाना एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक एवं अपेक्षित है, लेकिन प्रक्रिया विधि की पालना किये बिना रेस्पोडेंट संख्या 02 द्वारा तथाकथित विभाजन आदेश पर अपीलांट की गैर मौजूदगी में अपीलांट को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करवाये बिना विभाजन का म्यूटेशन में मात्र स्वीकृत शब्द लिखकर विभाजन का जो आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट द्वारा प्रशासन गांवों के संघ अभियान कैम्प 2013 की नकले मांगने व नहीं देने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 15.7.2022 को सहायक कलेक्टर बालोतरा में वाद अनवान वादी धनाराम बनाम प्रतिवादी वगताराम प्रकरण संख्या 166/2022 वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश करने व उक्त वाद में प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 (डी) सपठित

धारा 151 सीपीसी का पेश करने पर दिनांक 27.08.2024 को वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया गया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 को जारी विभाजन आदेश तथा उनकी पालना में तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित म्युटेशन संख्या 271 दिनांक 21.01.2013 को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किया जाये।

6. रेस्पोडेंटगण संख्या के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि मौजा भीमरलाई स्टेशन, पटवार क्षेत्र खट्टू, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नम्बर 120 रकबा 14 विस्वा, खसरा नंबर 121 रकबा 21 बीघा 18 विस्वा व खसरा नंबर 125 रकबा 09 बीघा 14 विस्वा भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि अपीलांट की खरीदसुदा 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेट संख्या 1 की 2/3 हिस्सा की संयुक्त खातदारी है। अपीलांट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा के द्वारा जारी विभाजन आदेश के विरूद्ध अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय के विभाजन ओदश के विरूद्ध एक महीने के अंदर सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश करनी करनी होती है, जबकि अपीलांट द्वारा लगभग 12 साल बाद अपील पेश की गई है। साथ ही अपीलान्ट ने श्री सहायक कलेक्टर कोर्ट बालोतरा में राजस्व वाद संख्या 166/2022 दिनांक 15.07.2022 को वाद पेश कर दिया, जो दिनांक 27.08.2024 को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारीज कर दिया गया। नामान्तरकरण संख्या 271/2013 का उल्लेख अपीलान्ट ने अपने वाद संख्या 166/2022 में किया। जिससे उक्त म्युटेशन का ज्ञान अपीलान्ट को दिनांक 15.07.2022 को ही हो चुका था। इस प्रकार उक्त अपील म्याद बाहर है। प्रशासन गांवो के संघ अभियान 2013 में अपीलान्ट धनाराम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने संयुक्त शामलाती भूमि का आपसी समझाईस से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आपसी सहमति से भूमि का विभाजन कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपना निशान अगुष्ठा कर भूमि का बंटवाडा दर्ज करने हेतु कागजात प्रभारी अधिकारी के समक्ष पेश किये। जिन्होने भूमि विभाजन करने की स्वीकृति प्रदान की। उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारों ने विभाजन का नामान्तरकरण संख्या 271 खोला जिसकी तहसीलदार पचपदरा ने स्वीकृत किया। बाद म्युटेशन खसरा संख्या 125 अपीलान्ट के नाम व खसरा संख्या 121 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज किया गया। दोनो अपने अपने हिस्से में आयी भूमि पर अलग अलग काबिज होकर कास्त करते आ रहे। तत्पश्चात् अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी भूमि में से रकबा 0.1619 हैक्टर भूमि रास्ता हेतु सरेण्डर की, जिस पर नया खसरा संख्या 937/125 रकबा 0.1619 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वगताराम ने भी अपने खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 121 में से रकबा 0.0728 हैक्टर भूमि रास्ता हेतु सलेण्डर किया। जिस पर अलग से खसरा संख्या 934/121 रकबा 0.0728 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अपने खातेदारी के खेत खसरा संख्या 121 में टांका का निर्माण करवाया तथा खेत के चारो तरफ मेंडबन्दी हेतु खाई खुदवायी। इस प्रकार आलोच्य विभाजन आदेश व आदेश उपरांत म्युटेशन संख्या 271/2013 अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 1 के आपसी सहमती के अनुसार जारी किया गया है। अतः तहसीलदार द्वारा उक्त विभाजन आदेश की पालना में तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित आलोच्य म्युटेशन संख्या 271/2013 को जारी किया गया है, को बहाल रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, आधारहीन तथा म्याद बाहर होने से उक्त अपील खारिज करने का आदेश फरमावे।

हमने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा भीमरलाई स्टेशन,

पटवार क्षेत्र खट्टू, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नम्बर 120 रकबा 14 विस्वा, खसरा नंबर 121 रकबा 21 बीघा 18 विस्वा व खसरा नंबर 125 रकबा 09 बीघा 14 विस्वा भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि अपीलांट की खरीदसुदा 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेट संख्या 1 की 2/3 हिस्सा की संयुक्त खातदारी है। जो संयुक्त खातेदारी के रूप में अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम से दर्ज थी एवं मौके पर सभी खातेदार संयुक्त रूप से काबिज रहे। उक्त भूमि के खातेदारान अपीलांट व रेस्पोडेंट ने कैम्प प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2013 में सह खातेदारान द्वारा प्रस्तुत सहमति विभाजन पर तहसीलदार पचपदरा के आदेश दिनांक 21.01.2013 द्वारा पारित स्वीकृति के अनुसरण में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 271 दिनांक 21.01.2013 को दायर कर तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2013 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की नकलें प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.12.2024 को होना प्रकट किया हैं, जबकि पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने पर व अपीलांट के कथनानुसार प्रकरण संख्या 166/2022 अनवान धनाराम बनाम वगताराम न्यायालय सहायक कलक्टर, बालोतरा में विचाराधीन/दर्ज होना बताया गया। अपीलांट द्वारा ही जब पूर्व में प्रकरण संख्या 166/2022 अनवान धनाराम बनाम वगताराम न्यायालय सहायक कलक्टर, बालोतरा में वर्ष 2022 में पेश किया गया हैं, इससे साबित होता हैं कि अपीलांट को उक्त आलोच्य आदेश की जानकारी पूर्व 2022 में थी। अपीलांट को पूर्व में जानकारी होने के पश्चात् भी लगभग 3 वर्ष तथा उक्त आलोच्य आदेश के 12 वर्ष के बाद अपील पेश की गई है। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा इस अपील में उक्त तथ्यों को छिपाते हुए मयाद के सम्बन्ध में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं हैं। अपीलाधीन आदेश के 12 साल बाद हस्तगत अपील पेश की गई हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रतीत होता हैं कि अपीलांट्स की ओर से यह अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा जहां तक अपीलांट का कथन हैं कि मौके पर कब्जा काश्त एवं रेकर्ड में भिन्नता हैं। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा से तलब की गई मौका रिपोर्ट में राजस्व रेकर्ड तथा कब्जा मौका में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं पाई गई, बताया गया। इस प्रकार अपीलांट की यह अपील मयाद बाधित हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस एवं युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किये जाने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने व सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।। पत्रावली फैसल शुमार हाकर नंबर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर बालोतरा